बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक–.....

संख्या–8 / आ0 (राज0 नि0)–1–201 / 2022.....1388..... श्री प्रशांत कुमार, तत्कालीन सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवा से बर्खास्त के विरूद्ध विशेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना द्वारा लगभग 2.06 करोड़ का अप्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप में छापा मारते हुए थाना कांड सं0–15 / 2022 दि0–09.11.2022 दर्ज किया गया था। इस संदर्भ में श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए विभागीय अधिसूचना सं0–6200 दि0–24.11.2022 द्वारा उन्हें निलंबित किया गया तथा निगरानी विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर उनके विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक–7169 दि0–27.12.2022 के द्वारा श्री कुमार से लिखित अभिकथन की मांग की गयी। उनके द्वारा समर्पित बचाव बयान को अस्वीकार करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1370 दि0–06.03.2023 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रधान सचिव–सह–जाँच आयुक्त, के पत्रांक–133 दिनांक–22.10.2024 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसमें आरोपी पदाधिकारी द्वारा तथ्यों को छुपाकर गलत मंशा से अर्जित किये गये सम्पत्तियों एवं अन्य सम्पत्ति अर्जित किये जाने की पूर्व सूचना प्रशासी विभाग को नहीं दिये जाने के कारण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–03 एवं 19 का स्पष्टः उल्लंघन बताते हुए आरोपों को प्रमाणित किया गया है।

2. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18 के तहत जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुये आरोपी पदाधिकारी से विभागीय पत्रांक–4981 दि0–02.12.2024 द्वारा द्वितीय बचाव बयान की माँग की गयी। श्री कुमार द्वारा दिनांक–16.12.2024 को समर्पित द्वितीय बचाव बयान एवं जाँच प्रतिवेदन की समीक्षोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(xi) के तहत सेवा से बर्खास्तगी का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त मंतव्य एवं मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के उपरांत श्री प्रशांत कुमार के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना सं0–5731 दिनांक–04.10.2025 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम–14 (xi) के तहत् सेवा से बर्खास्त करने का दंड अधिरोपित व संसूचित किया गया है।

3. श्री प्रशान्त कुमार, तत्कालीन सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवा से बर्खास्त के द्वारा उक्त दण्ड के विरूद्ध दिनांक–04.11.2025 को पुनर्विलोकन अर्जी समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा अंकित किया गया है कि उनके द्वारा दि0–16.12.2024 को समर्पित द्वितीय बचाव बयान में उल्लेख है कि उनके परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा अपने निजी स्त्रोत से कोई संपत्ति अर्जित करता है तो अर्जित की गयी संपत्ति पर बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–19 के उपनियम–2 एवं 3 लागू नहीं होता है साथ ही उनके द्वारा सभी चल एवं अचल संपत्तियों का विवरण समर्पित किया गया था और उनके या उनके परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा धारित संपत्तियों को नहीं छुपाया गया था फिर भी विभाग द्वारा कहा गया है कि उनके द्वितीय बचाव बयान में कोई नया तथ्य एवं साक्ष्य समर्पित नहीं किया गया है। उन्हीं तथ्यों को रखा गया है, जो उनके द्वारा पूर्व में संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। यह कहा जाना साक्ष्य एवं अभिलेख आधारित नहीं बताया गया है। विभाग द्वारा उक्त अधिसूचना में मुख्य सचिव, बिहार, पटना के आदेश पत्रांक–6268 दि0–29.06.2021 में सरकारी सेवक सरकार के पूर्व जानकारी के बिना किसी अचल सम्पत्ति का अर्जन या निबटाव अपने नाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से पट्टे, बंधक, खरीद, बिक्री प्रीतिदान के द्वारा नहीं करेगा एवं सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–18119 दि0–26.09.2023 द्वारा जारी पत्र में बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–19(6) का उल्लंघन किये जाने तथा नियमानुसार विभाग को पूर्व सूचना

नहीं दिये जाने के संबंध में उनका कहना है कि प्रासंगिक पत्रों द्वारा निर्गत दण्डादेश में अंकित तथ्यों पर विरोधाभास उत्पन्न करता है क्योंकि उनके द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि उनके द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की गयी थी। उनके द्वारा बताया गया है कि निर्गत दण्डादेश में सामान्य प्रशासन के दो पत्रों यथा पत्रांक–6268 दि0–29.06.2021 एवं पत्रांक–18119 दि0–26.09.2023 उनके विरूद्ध गठित आरोप पत्र के भाग–4 (दस्तावेजों की सूची में) उल्लेखित नहीं है, जिसे सामान्य प्रशासन विभाग के बिहार सरकारी सेवक आरोप पत्र गठन नियमावली, 2017 के आलोक में आवश्यक बताया गया है। उनके द्वारा उक्त पत्रों के आधार पर कार्रवाई किया जाना विधिसंगत एवं स्थापित नियमों के विपरीत बताया गया है। श्री कुमार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर याचिका सी0डब्लू0जे0सी0सं0–5255/2025 में दि0–03.04.2025 को पारित आदेश का उल्लेख करते हुए दिनांक–07.04.2025 को एक अभ्यावेदन समर्पित किये जाने का उल्लेख किया गया है। उक्त न्यायादेश एवं उनके द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के माध्यम से याचिका में उठाये गये बिन्दुओं के साथ–साथ द्वितीय कारण पृच्छा के क्रम में समर्पित अभ्यावेदन पर नियमानुसार विधिसंगत आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया था। निर्गत दण्डादेश में उनके द्वारा उठाये गये बिन्दुओं के साथ–साथ माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर रिट याचिका में उठाये गये बिन्दुओं को अमान्य करने का कोई तार्किक आदेश पारित नहीं किया गया है। श्री कुमार द्वारा बताया गया कि उनके विरूद्ध संसूचित दण्ड नियमानुसार एवं विधिसंगत नहीं है तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0सं0–5255/2025 में दिनांक–03.04.2025 को पारित आदेश में दिये गये निदेश का भी अनुपालन नहीं किया गया है। उक्त के आलोक में उनके द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष दिये गये बचाव बयान, द्वितीय कारण पृच्छा में उठाये गये बिन्दुओं के साथ–साथ माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर किये गये याचिका में दिये गये निर्देश के आलोक में विभाग में समर्पित अभ्यावेदन में उल्लेखित तथ्यों के साथ–साथ उपरोक्त वर्णित कंडिकाओं में अंकित साक्ष्य आधारित तथ्यों पर विचार करते हुए उनके विरूद्ध संसूचित दण्ड को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। श्री कुमार द्वारा पुनः दिनांक–12.12.2025 को पूरक पुनर्विलोकन अर्जी समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा Criminal Miscellaneous No.- 26158/2025 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–21.11.2025 को पारित आदेश द्वारा उनके विरूद्ध दर्ज प्राथमिकी को निरस्त किये जाने की सूचना देते हुए उनके विरूद्ध अधिरोपित दण्ड को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4. विदित हो कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–24 (2) के अनुसार सरकार के आदेश के विरूद्ध कोई अपील नहीं की जा सकेगी हालांकि ज्ञापन के रूप में पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की जा सकेगी।

5. आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही सं0–13/2023 के मामले में संचालन पदाधिकारी–सह–जॉच आयुक्त द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन के निष्कर्ष में अंकित किया गया है कि श्री प्रशान्त कुमार की नियुक्ति अवर निबंधक के पद पर वर्ष 1996 में हुई। श्री कुमार द्वारा अपने विभिन्न स्थानों पर पदस्थापित रहने के दौरान अकूत चल एवं अचल सम्पत्ति अर्जित की है। श्री कुमार द्वारा स्वयं एवं अपने परिजनों के नाम पर विभिन्न जगहों पर सम्पत्ति अर्जित करने की पूर्व सूचना प्रशासी विभाग को नहीं दी गई। आरोपी पदाधिकारी द्वारा तथ्यों को छुपाकर गलत मंशा से अर्जित किये गये सम्पत्तियों की पूर्व सूचना प्रशासी विभाग को नहीं दी गयी है, जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3 एवं 19 का स्पष्ट उल्लंधन है। आलोच्य मामले में अभिलेखीय साक्ष्य/तथ्य, साक्षियों की गवाही एवं उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये पक्ष की विवेचना एवं प्रकरण से विदित होता है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा तथ्यों को छुपाकर गलत मंशा से अर्जित किये गये सम्पत्तियों की पूर्व सूचना प्रशासी विभाग को नहीं दी गयी है, जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3 एवं 19 का स्पष्टतः उल्लंघन है। बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियमों, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 का स्पष्टतः उल्लंघन किया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपी पदाधिकारी श्री प्रशान्त कुमार, तत्कालीन सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर सम्प्रति जिला अवर निबंधक, मुख्यालय द्वारा

बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3 एवं 19 के उल्लंघन का आरोप प्रमाणित किया गया है।

6. उक्त के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संचालन पदाधिकारी–सह–जाँच आयुक्त द्वारा समर्पित अंतिम जाँच प्रतिवेदन, श्री प्रशान्त कुमार, सम्प्रति सेवा से बर्खास्त सहायक निबंधन महानिरीक्षक द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव वयान एवं उनके द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी की समीक्षा की गयी। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षोपरांत पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने पुनर्विलोकन अर्जी में कोई भी नया तथ्य उल्लेखित नहीं किया है। उन्होने अपने पुनर्विलोकन अर्जी में उन्ही तथ्यों को पुनः उल्लेखित किया है, जो तथ्य उन्होने संचालन पदाधिकारी–सह–जाँच आयुक्त एवं विभाग के समक्ष रखा था। समीक्षोपरांत पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा परिसम्पत्ति अर्जित करने अथवा उसके निवटाव करने से पूर्व नियमानुसार विभाग को लिखित रूप से कोई जानकारी नहीं दी गयी थी और न ही उन्होंने इस संबंध में विभाग से कोई पूर्वानुमति प्राप्त की तथा न ही उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण, द्वितीय बचाव बयान एवं पुनर्विलोकन अर्जी में विभाग को नियमानुसार पूर्व सूचना दिये जाने का उल्लेख किया है।

मुख्य सचिव, बिहार, पटना के आदेश पत्रांक 6268 दिनांक 29.06.2021 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि कोई सरकारी सेवक सरकार की पूर्व जानकारी के बिना, किसी अचल सम्पत्ति का अर्जन या निबटाव अपने नाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से पट्टे, बन्धक खरीद, बिक्री या प्रीतिदान के द्वारा या अन्यथा न करेगा। उक्त आदेश में यह भी वर्णित है कि सरकारी सेवक द्वारा अचल सम्पत्ति (जमीन, मकान, फ्लैट, गाड़ी आदि) क्रय/विक्रय किये जाने की स्थिति में यदि ऐसा सम्व्यवहार किसी नियमित या ख्याति प्राप्त से की जा रही हो तब ऐसा सम्व्यवहार के एक माह के अन्दर इसकी सूचना विहित प्राधिकार को उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। यदि ऐसा सम्व्यवहार किसी नियमित या ख्याति प्राप्त से नहीं की जा रही हो तो विहित प्राधिकार से ऐसा सम्व्यवहार की पूर्व मंजूरी प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही वास्तविक क्रय/विक्रय किये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 18119 दिनांक 26.09.2023 द्वारा जारी बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 (समय–समय पर यथासंशोधित) का Master Circular के साथ संलग्न बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 (समय–समय पर यथासंशोधित) की नियम 19 (2) में स्पष्तः अंकित है कि कोई सरकारी सेवक सरकार की पूर्व जानकारी के बिना, किसी अचल सम्पत्ति का अर्जन या निबटाव अपने नाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से पट्टे, बन्धक, खरीद, बिक्री या प्रीतिदान के द्वारा या अन्यथा न करेगा। उपरोक्त नियमावली के नियम 19 (6) में वर्णित है कि यदि किसी सरकारी सेवक के पास ऐसे आर्थिक साधन स्रोत या ऐसी सम्पत्ति पाई जाए जो उसके ज्ञात आय–स्रोतों के अनुपात से अधिक हो और जिसका वह संतोषजनक हिसाब न दे सके, तो जब तक प्रतिकूल सिद्ध न किया जाए तब तक यह माना जाएगा कि वह अपने सरकारी कर्त्तव्य पालन में गम्भीर कदाचार का दोषी है, जिसके लिए उस पर विभागीय कार्यवाही के साथ–साथ दांडिक वाद भी चलाया जा सकेगा।

श्री प्रशांत कुमार द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी में उनके द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–6268 दि0–29.06.2021 एवं पत्रांक–18119 दि0–26.09.2023 की जानकारी नहीं होने का उल्लेख किया जाना भी स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि एक राजपत्रित पदाधिकारी होने के नाते सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्रों एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के प्रावधानों की जानकारी रखना उनका दायित्व था।

श्री प्रशांत कुमार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर याचिका सी0डब्लू0जे0सी0सं0–5255/2025 में दि0–03.04.2025 को पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में अवमाननावाद (एम0जे0सी0सं0–3523/2025) दायर किया गया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना में विभाग के तरफ से प्रतिशपथ–पत्र दायर किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त श्री प्रशांत कुमार तत्कालीन सहायक निबंधन महानिरीक्षक सम्प्रति बर्खास्त के द्वारा विभागीय अधिसूचना सं0–5731 दि0–04.10.2025 द्वारा सेवा से बर्खास्त करने का अधिरोपित दंड के विरूद्ध माननीय उच्च

न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–755/2026 प्रशान्त कुमार बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया है जिसमें विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में प्रतिशपथ पत्र दायर किया जा चुका है।

पुलिस अधीक्षक, विशेष निगरानी इकाई के पत्रांक–209/15/2022/SVU/Pat. दिनांक–03.02.2026 द्वारा विशेष निगरानी इकाई थाना कांड संख्या– 15/2022 दिनांक–09.11.2022 को रद्द करने संबंधी माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा Criminal Miscellaneous No.- 26158/2025 में दिनांक–21.11.2025 को पारित आदेश के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में एस0एल0पी0 दायर किये जाने की कार्रवाई किये जाने की सूचना दी गयी है। विदित हो कि निगरानी विभाग के अंतर्गत विशेष निगरानी इकाई राज्य सरकार की एक प्रमुख जाँच एजेंसी है जो आर्थिक अपराध एवं भ्रष्टाचार के मामले की जाँच करती है।

7. श्री प्रशांत कुमार द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष दिये गये बचाव बयान, द्वितीय कारण पृच्छा में उठाये गये बिन्दुओं के साथ–साथ माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर किये गये याचिका सी0डब्लू0जे0सी0सं0– 5255/2025 में दि0–03.04.2025 को पारित आदेश में दिये गये निर्देश के आलोक में विभाग में समर्पित अभ्यावेदन में उल्लेखित तथ्यों के साथ–साथ उपरोक्त वर्णित कंडिकाओं में अंकित तथ्यों पर विचार करते हुए उनके विरूद्ध संसूचित दण्ड को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। उक्त सभी तथ्यों पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षोपरांत श्री प्रशांत कुमार के विरूद्ध विभागीय दंड के प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना का अभिमत प्राप्त किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–2571 दिनांक–12.09.2025 द्वारा विभागीय दंड प्रस्ताव में सहमति व्यक्त किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से प्राप्त अनुशंसा/सहमति के आलोक में श्री कुमार के दंड प्रस्ताव पर मंत्रीपरिषद की बैठक दिनांक–03.10.2025 में मद सं0–86 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है। तदालोक में श्री कुमार के विरूद्ध अधिसूचना सं0–5731 दिनांक–04.10.2025 द्वारा सेवा से बर्खास्तगी का दंडादेश अधिरोपित किया गया है।

उक्त तथ्यों के अतिरिक्त श्री कुमार द्वारा अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में कुछ भी नया तथ्य नहीं दिया गया है और न ही कोई साक्ष्य दिया गया है, जिसके आधार पर पुनर्विलोकन अभ्यावेदन के आलोक में अधिरोपित दण्ड के संबंध में पुनः विचार किया जा सके।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत श्री प्रशांत कुमार, तत्कालीन सहायक निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना सम्प्रति सेवा से बर्खास्त द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकार करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय अधिसूचना संख्या–5731 दिनांक 04.10.2025 द्वारा सेवा से बर्खास्त करने का दण्ड को बरकरार रखे जाने का निर्णय लिया गया।

अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री प्रशांत कुमार, सेवा से बर्खास्त सहायक निबंधन महानिरीक्षक के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना संख्या–5731 दिनांक–04.10.2025 द्वारा अधिरोपित ''सेवा से बर्खास्त'' के दण्ड को पूर्ववत् बरकरार रखा जाता है।

8. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–8/आ0 (राज0 नि0)–1–201/2022..... पटना, दिनांक–.....

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/वित्त विभाग, ई–गजट कोषांग को (सी0डी0 सहित) राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–8/आ0 (राज0 नि0)–1–201/2022..... पटना, दिनांक–.....

प्रतिलिपिः– महालेखाकर, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–8/आ0 (राज0 नि0)–1–201/2022.1388 पटना, दिनांक–2·3·26

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ निबंधन महानिरीक्षक के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/उप निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना/राजपत्रित स्थापना, प्रशाखा–5/आई0टी0 मैनेजर एवं श्री प्रशांत कुमार, पिता– श्री कामेश्वर प्रसाद सिंह, पता–बी2बी, अलखराज अपार्टमेंट, बोरिंग कैनाल रोड, पटना–800001 मो0–9955827955 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव